राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	लक्ष्मीनारायण बनाम प्रदीप हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/11/2025	850/2022 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 01/12/2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
01/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 25/02/2022 पारित करते हुए तहसीलदार सांगानेर को वादग्रस्त कृषि आराजी खसरा नम्बर 1258 रकबा 1.2500 हैक्टेयर वाके ग्राम कलवाडा पटवार हल्का कलवाडा भू.अ.नि. क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित का मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड विधिसम्मत बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स उभयपक्ष की उपस्थिति में तकासमा कर अलग-अलग लगान व खाता कायम कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा भिजवाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। तत्पश्चात तहसीलदार सांगानेर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 07/10/2022 पारित की गयी। जिसके विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की लिखित बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र को परिक्षण/विवेचित किये बगैर ही कुर्रेजात अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जो न्यायोचित्त एवं विधिक प्रक्रियाओ के अनुरूप प्रतीत नही होता है। विधि के प्रावधानों के अनुसरण में आपत्तियो का विवेचनात्मक निस्तारण करते हुये अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 07/10/2022 विधिसम्मत प्रतीत नही होने से निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते राजस्व अपील प्राधिकारी	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

लक्ष्मीनारायण बनाम प्रदीप

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हुये दोनों पक्षों की सुनवाई कर आपत्ति प्रार्थना पत्र का विस्तृत विवेचनात्मक निस्तारण कर विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुनः पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर